FTC
717

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.15 (1)प्राशि / संस्थापन / 2017 /   जयपुर,दिनांकः 28 JAN 2017

–:: आज्ञा ::–

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–259 के उप–नियम(9) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट के कॉलम संख्या 4 में वर्णित विद्यालय के संस्था प्रधान को कॉलम संख्या 3 में वर्णित ग्राम पंचायत का **"पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी"** नामित किया जाता है। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का मुख्यालय / कार्यालय संबंधित विद्यालय होगा। संलग्न परिशिष्ठ के कालम संख्या 4 में वर्णित विद्यालय कालम संख्या 3 में वर्णित ग्राम पंचायत में स्थित समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) का कार्य करेगा। **पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–**

1. ग्राम पंचायत में संचालित पंचायती राज के अधीन समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण एवं प्रशासनिक तथा अकादमिक पर्यवेक्षण का कार्य।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित पंचायती राज के अधीन समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक से समन्वय करना।
3. ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन आने वाले समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना।
4. राज्य सरकार, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उप निदेशक, ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
5. सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पंचायत रिसोर्स सेन्टर फेसीलिटेटर (PRCF) को आवंटित समस्त कार्य।

6. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत में स्थित पंचायती राज के अधीन संचालित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

यह आज्ञा पंचायती राज विभाग की सहमति से जारी की जाती है ।

संलग्न–**परिशिष्ट**

24/1/2017
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज प्रा0शि0 विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
10. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
11. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
12. जिला कलेक्टर्स – समस्त।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –समस्त।
14. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
15. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
16. विकास अधिकारी – समस्त।
17. आदेश पत्रावली।

24/1/2017
संयुक्त शासन सचिव